GCMS No - 2022/223

फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर

महेश कुमार बनाम कोजुदास

किस्म मुकदमा 225 आरटीए

नम्बर 50/2022
जीसीएमएस संख्या...../2022/223

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22–06–22	अभिभाषक अपीलांट श्री रणबीर सिंह उपस्थित। अपील बाद जांच रिपोर्ट होकर पेश हुई। विद्वान अभिभाषक अपीलांट् को पत्रावली पर सुना गया। विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम नौरंगदेसर तहसील बीकानेर के खसरा नम्बर 1400/442 तादादी 0.5400 हैक्टयर, 1401/441 तादादी 0.8000 हैक्टयर, 1402/772 तादादी 2.8600 हैक्टयर भूमि पूर्व में हीरा देवी पत्नी गोपालदास के नाम थी। हीरादेवी के सात संतानें थी लेकिन इंतकाल में केवल 5 पुत्रों का ही नाम दर्ज हुआ 2 पुत्रियों का नाम इस इंतकाल में दर्ज नहीं किया गया। इस संबंध में न्यायालय सहायक कलेक्टर बीकानेर में मूल दावे के साथ धारा 212 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दावे के निर्णय तक मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये जाने तथा मूल दावे के निर्णय तक रहन बैय नहीं करने हेतु अप्रार्थीगण को पाबन्द करने का आग्रह किया लेकिन न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान नहीं की गई बल्कि प्रार्थना पत्र के पुष्ट पर ही टिप्पणी कर अस्थाई निषेधाज्ञा के निवेदन का अस्वीकार करना अंकित कर दिया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मौके व राजस्व रिकोर्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश प्रदान करें। अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन करने व पत्रावली के विवेचन पर यह स्पष्ट नहीं हो	

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

पाया है कि धारा 212 का प्रार्थना पत्र का अन्तिम निर्णय हुआ है या नहीं। क्योंकि कहीं भी आदेशिका में प्रार्थना पत्र के अन्तिम रूप से निर्णित होना अंकित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र के पुष्ट पर की गई टिप्पणी से यह स्पष्ट है कि न्यायालय ने प्रथम दृष्टया प्रार्थी के हक में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के निवेदन को अस्वीकार किया है ना कि प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया है। इस संबंध में न्यायालय का अभिमत है कि अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी भी प्रकार को कोई अनुतोष पाने का हकदार नहीं है अतः अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ही आगामी पेशी पर पेश होकर अपना पक्ष रखे। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशत किया जाता है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी को आगामी पेशी पर सुनवाई के साथ सीपीसी के आदेश 39 (3) 'क' की पालना की जाकर प्रार्थना पत्र का अन्तिम निष्पादन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामिल व तक्मील दाखिल दफ्तर हो।

22/6/2022

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

([illegible])
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर।